न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मनोज, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्याः– वाद सं. 160/2008(**RCMS** 2008/00063)

वादी

1. बिहारीलाल पुत्र अमराराम जाति कुमावत निवासी बड़ला की ढ़ाणी कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राधादेवी बेवा दयालाराम जाति कुमावत निवासी बड़ला की ढ़ाणी कुचामनसिटी
2. संतोष देवी पुत्र दयालाराम पत्नि बनारसी बाबू जाति कुमावत निवासी मेड़ी का बास कुचामनसिटी जिला नागौर
3. अर्जुनलाल गोद पुत्र दयालाराम जाति कुमावत निवासी बड़ला की ढ़ाणी कुचामनसिटी
4. उप पंजियक कुचामनसिटी
5. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां/तहसीलदार कुचामनसिटी
6. श्रवणसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी
7. रामसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी

दावा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. का. अधि. 1955

उपस्थित :–श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से
श्री बोदूराम अधिवक्ता प्रतिवादी 1, 2 की ओर से
श्री पुष्पेन्द्रसिंह मेड़तिया अधिवक्ता प्रति. 6, 7 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 19-02-2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 स्व. अमराराम के वंशज है जिनका सजरा खानदान निम्नवत है :–

अमराराम

दयालाराम (फौत) — बिहारीलाल

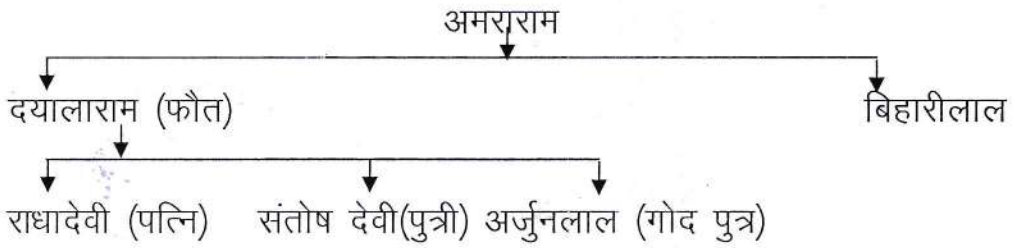

राधादेवी (पत्नि) — संतोष देवी(पुत्री) — अर्जुनलाल (गोद पुत्र)

ग्राम टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि अल्मशहूर " टेचरी वाला खेत " नवीन खसरा नम्बर 452 रकबा 1.09 हैक्टर सम्पूर्ण एवं ग्राम टोरड़ा पटवार मण्डल रूपपुरा के अल्मशहूर " घड़ोई वाला " नवीन खसरा नम्बर 923, 924, 927 कुल रकबा 9.64 हक्टर मे 1/2 एवं कस्बा कुचामनसिटी की सरहद में अ... भैरसिंहजी वाला जाव " नवीन खसरा नम्बर 690 रकबा 0.55 हैक्टर, ...5 हैक्टर, खसरा नम्बर 694 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 695 रकबा 0.84 हैक्टर, ...रा नम्बर 696 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 697 रकबा 0.81 हैक्टर जुमले रकबा 3.23 हैक्टर में 1/4 हिस्सा ...राराम जी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

खरीदसुदा भूमि रही है, जिस पर वे आजीवन काबिज रहे तथा उनका स्वर्गवास 20—21 वर्ष पूर्व हो जाने के बाद उनके वारिसान दयालाराम बिहारीलाल बहैसियत उत्तराधिकारी संयुक्त रूप से काबिज रहे है। करीब 13—14 वर्ष पूर्व दयालाराम व बिहारीलाल ने अपने पिताजी की उपर्युक्त भूमियों बाबत आपसी सुविधा से बंट कर अलग—अलग काश्त करने लग गए। इस बंटवारा स्वरूप टोरड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 452 रकबा 1.09 हैक्टर सम्पूर्ण वादी बिहारीलाल के बंट में रही है तथा कुचामनसिटी की सरहद में स्थित चाही भूमि जाव कुआ मे भैरसिंहजी वाला खसरा नम्बर 690, 693, 694, 695, 696, 697 कुल रकबा 3.23 हैक्टर मं 1/4 हिस्सा सम्पूर्ण अकेले दयालाराम के कब्जा बंट में रखा गया, चूँकि यह चाही भूमि भी व टोरड़ा की सरहद में स्थित बारानी भूमि है, इसलिए मौका की उपजाऊ व मूल्यांकन के आधार पर कुचामनसिटी वाली उक्त भूमि दयालाराम के हिस्से में कम रखी गई व टोरड़ा वाली जमीन खसरा नम्बर 452 वाली व कम उपजाऊ होने से वादी के बंट में अधिक रखी गई। टोरड़ा की सरहद में स्थित अल्मशहूर घड़ोई वाला में दोनो भाईयो के संयुक्त रखी गई। जिसमे से यानि नवीन खसरा नम्बर 923, 924, 927 कुल रकबा 9.64 हैक्टर में से अपना सम्पूर्ण हक व कब्जा भी भूमि दयालाराम ने बिना बंटवारा के अन्य अजनबी व्यक्ति को सन 1994 में विक्रय कर दी गई। इस विक्रय के बाद दयालाराम का उक्त भूमि पर कोई हक शेष नही रहा, उक्त पारिवारिक विभाजन होने के बाद कुचामन में स्थित खसरा नम्बर 690, 693 से 697 मे 1/4 हिस्सा जो भाई बंट में अकेले दयालाराम के आया था, उस हिस्से को दयालाराम ने वसीयतनामा निष्पादित कर दी गई, जिसकी नकल दिनॉक 2.2.06 को प्राप्त करने पर जानकारी हुई, दिनॉक 17.03.2003 को दयालाराम का स्वर्गवास हो जाने पर इस भूमि के खाते में प्रतिवादी सं. 2 ने वसीयतनामा के आधार पर खातेदारी दर्ज करवाली जबकि प्रतिवादी नं. 1 उसकी पत्नि व प्रतिवादी नं. 3 गोदी पुत्र को उक्त भूमि से महरूम रख लिया था, उसके स्वर्गवास पश्चात तमाम सामाजिक क्रिया क्रम व गंगोज इत्यादि का खर्च प्रतिवादी सं. 3 द्वारा वहन किया गया एवं बारहवे के संस्कार पर जाति समाज के पंचो के रूबरू पाग इत्यादि प्रतिवादी सं. 3 को बंधाकर स्व. दयालाराम को उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया। प्रतिवादी सं. 2 ने अपनी माता प्रतिवादी सं. 1 को अपने प्रभुत्व मे लेकर भैरसिंहजी वाली भूमि जाव के तो अपने नाम नाजायज फायदा उठाकर प्लाट काट कर विक्रय किये जाने लगे है तथा प्रतिवादी सं. 3 को महरूम रखा जाने लगा है तथा इतना ही वादी क कब्जा व बंट की ग्राम टोरड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 452 के खाते में मृतक दयालाराम के नाम अंकित स्थान पर बिना कब्जा के विरासत नामान्तरकरण स्वीकृत करा लिया तथा अब उक्त भूमि को भी नाम के अंकन के आधार पर अन्य अजनबी व्यक्तियों को हस्तानान्तरण करने के प्रयास में है, वादी का भाई दयालाराम वादी से बड़ा था और वादी को उक्त सम्पूर्ण भूमि वादी के ना मकराने का आश्वासन देता रहा, इसके स्वर्गवास उपरान्त [illegible] वारिसान भी आश्वासन देते रहे लेकिन अब उनकी नियम में वादी को उक्त भूमि से [illegible] के उद्देश्य से हस्तानान्तरण इत्यादि करने की पूर्ण तथा ठान ली है तथा ऐसी [illegible] वादी को दी है। जबकि विगत 13—14 वर्षो से पारिवारिक बंटवारा स्वरूप उपर्युक्त सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर 452 की पर वादी अकेले

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी ● (डीडवाना-कुचामन) कुचामन सिटी
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

का निरन्तर व आबाध रूप से भौतिक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा एडवर्स पजेशन का टाईटल भी वादी के हक में फरफेक्ट हो चुका है। वादी अपनी उक्त सम्पूर्ण भूमि को खातेदारी दर्ज कराने का हकदार है अगर प्रतिवादी 1 ता 3 उक्त प्रकार की साजिस कार्यवाही करने में सफल हो गये तो वादी के जायज अधिकारो पर कुठाराघात होगा, अनावश्यक मुकदमें बाजी बढ़ेगी तथा नाहक परेशानी व बर्बादी होगी इसलिए यह वाद खातेदारी घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु लाना आवश्यक हुआ है। वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम टोरड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 452 रकबा 1.09 हैक्टर सम्पूर्ण वादी काबिज खातेदार कृषक है, इस आशय की खातेदारी अधिकारो की घोषणा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण 1, 2, 3 सादिर फरमाई जावें तथा राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी सं. 1, 2 का नाम हटाया जावें। उपर्युक्त भूमि रकबा 1.09 हैक्टर सम्पूर्ण में वादी के कब्जा काश्त व अधिकारो में किसी प्रकार का दखल प्रतिवादी 1 ता 3 न तो स्वयं डाले तथा न ही अपने एजेन्टो से डलवाए तथा खसरा नम्बर 452 के बाबत किसी प्रकार का हस्तानान्तरण पत्र विक्रय पत्र रहन इत्यादि किसी के हक में निष्पादित नही करावे तथा प्रतिवादी सं. 4 उक्त आशय का दस्तावेज प्रतिवादी 1, 2 द्वारा प्रस्तुत करने पर पंजिबद्व नही करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी सादिर फरमाई जावें। अन्य जो भी अनुतोष हो वादी के हक में प्रदान करावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये तत्पश्चात अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 बावजदू इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 6 एवं 7 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया। जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

दौराने वाद प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 द्वारा टोरड़ा के खसरा नम्बर 452 रकबा 1.09 हैक्टर में से दिनॉक 05.02.2007 को सम्पूर्ण श्रवणसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत कुचामनसिटी व रामसिंह पुत्र भवानीसिंह राजपूत कुचामनसिटी को जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज करने से उन्हे प्रार्थना–पत्र आर्डर 01 रूल्स 10 (2) सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी सं. 6, 7 बनाया गया। प्रतिवादी 6, 7 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान सही प्रस्तुत नही किया गया है उपरोक्त सजरा खानदान में अर्जुनराम उनके परिवार का सदस्य नही है। ग्राम टोरड़ा के खसरा नम्बर 452 रकबा 1.09 हैक्टर भूमि वादी एवं प्रतिवादी 1 व 2 के पति व पिता दयालाराम का 1/2 हिस्स 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण 1/2 हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड बेचान दिनॉक 05.02.07 का प्रतिवादी सं. 6 श्रवणसिंह व प्रतिवादी सं. 7 रामसिंह को कर दिया था तथा मौके पर अपने हिस्से की भूमि का भौतिक कब्जा सुपूर्द कर दिया था। जिससे प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पद चिन्हो पर उक्त भूमि में प्रतिवादी सं. 6 व 7 ... हुए है तथा वे सदभावी क्रेता है। ग्राम टोरड़ा के खसरा नम्बर 923, 924, 927 कुल रकबा ... हैक्टर में 1/2 हिस्से की भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पति ... हक–हिस्से की रही जिसमे दयालाराम ने अपने हक–हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान कर ... या था, ग्राम रूपपुरा टोरड़ा की उपरोक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

कृषि भूमिया वादी व प्रतिवादी 1 व 2 की पैतृक भूमिया थी जो उन्हे उत्तराधिकार में स्व. अमराराम से प्राप्त हुई थी, कस्बा कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 690, 693, 694, 695, 696, 697 कुल रकबा 3.23 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 143, 144, 145 कुल रकबा 19 बीघा 19 बिस्सा है जिसमे 5 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता/पति स्व. दयालाराम ने अपनी निजी आय से तत्कालीन खातेदार धन्ना पुत्र जीवा जाति कुम्हार कुचामनसिटी से दिनॉक 27.07.1976 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख खरीद की थी, जिसमे वादी का कोई हक हिस्सा नही है। उपरोक्त भूमि का बंटवारा वादी एवं दयालाराम द्वारा कभी भी नही किया गया है। खसरा नम्बर 452 में दोनो ही अलग अलग काश्त करते रहे, प्रतिवादी 1 व 2 का 1/2 व 1/2 हिस्सा था जिसमें अलग अलग काश्त करते रहे। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि 1/2 हिस्से का बेचान प्रतिवादी सं. 6 व 7 को कर दिया जिस पर प्रतिवादी सं. 6 व 7 काबिज है तथा कुचामनसिटी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 690, 693, 694, 695, 696, 697 कुल रकबा 3.53 हैक्टर भूमि में 5 बीघा भूमि प्रतिवादी सं 1 व 2 के पति/पिता दयालाराम की खरीद सुदा भूमि है, वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 के पति/पिता दयालाराम ने कोई बंटवारा नही किया, बंटवार के कथन मिथ्या है, ग्राम रूपपुरा–टोरड़ा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 923, 924, 927 कुल रकबा 9.64 हैक्टर भूमि वादी व दयालाराम को उत्तराधिकार में उनके पिता स्व. अमराराम से प्राप्त हुई थी जिसमें वादी बिहारीलाल का व दयालाराम का बराबर हिस्सा था तथा दयालाराम ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान कर दिया था। वाद वादी द्वारा गलत, झूंठे व मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है तथा वादी प्रतिवादीगण से किसी भी प्रकार अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है इसलिए वाद वादी खारिज फरमाया जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी की ओर से नकल खतौनी सम्वत 2061–2064 ग्राम टोरडा के खसरा नम्बर 452 की, सम्वत 2058–2061 कुचामन खसरा नम्बर 690, 693 से 697 की, नकल खतौनी सम्वत 2049–2052 ग्राम रूपपुरा टोरडा खसरा नम्बर 923, 924, 927 की, नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 452 की नकल, दयालराम के मृत्यु प्रमाण–पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की। न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) कुचामनसिटी राधादेवी बनाम अर्जुनराम निर्णय 28.11.2008 की प्रमाणित प्रति, इस न्यायालय के प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.एक्ट 55/08 बिहारीलाल बनाम राधाादेवी की आदेशिकाओ की प्रति, मौका कमिश्नर रिपोर्ट की छाय प्रति प्रस्तुत की।

प्रतिवादी की ओर से नकल सम्वत 2065–2068 ग्राम टोरडा के खसरा नम्बर 452, 923, 924, 927 एवं नकल खतौनी ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 690, 693 से 697 की प्रति, बेचान दस्तावेज 31.05.1976, बेचान दस्तावेज 05.02.2007 की प्रति प्रस्तुत की।

प्रकरण में प्रस्तुत वाद पत्र एवं जवाब दावा, दस्तावेजो के आधार पर तनकियात कायम की गई :–

तनकियात

1. आया वादी ग्राम टोरड़ा के खसरा नम्बर 452 रकबा 1.09 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का पैतृक होने से बंटवारे में आई हुई है जिसका खातेदार काबिज कृषक है ?

––– **जिम्मे वादी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी • कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) • सत्यमेव जयते

2. आया कस्बा कुचामन के खसरा नम्बर 690, 693 से 697 में 1/4 हिस्सा जो भाई बंटवारा में अकेले दयालाराम को दिया गया है उक्त भूमि पैतृक है

––– **जिम्मे वादी**

3. आया कस्बा कुचामन के खसरा नम्बर 690, 693 ता 697 की भूमि प्रतिवादी सं. 1 के पति दयालाराम की जरिये रजिस्ट्री खरीद सुदा भूमि है ?

–––**जिम्मे प्रतिवादी**

4. आया ग्राम टोरडा के खसरा नम्बर 452 रकबा 1.09 हैक्टर भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की पैतृक है । उक्त भूमि के बराबर–बराबर हिस्सा पाने के हकदार है ?

––– **जिम्मे प्रतिवादी**

5. अन्य दादरसी।

मौखिक साक्ष्य में वादी द्वारा स्वयं का शपथ–पत्र, गवाह पेमाराम,गवाह देबूराम के प्रस्तुत किये। प्रतिवादी मौखिक साक्ष्य में श्रवणसिंह एवं रामसिंह के शपथ–पत्र प्रस्तुत हुये। दोनो ही उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ द्वारा एक दूसरे के द्वारा प्रस्तुत शपथकर्ताओ से जिरह की गई, जो शपथ–पत्रो पर जिरह अंकित है।

प्रकरण में उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की। दोनो पक्षो द्वारा वाद पत्र एवं जवाब दावें में अंकित तथ्यों को दोहराया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया, तनकीवार निर्णय निम्नवत है :–

तनकी सं. 1 जिसको साबित करने का भार वादी पर रहा। वादग्रस्त भूमि ग्राम टोरड़ा के खसरा नम्बर 452 रकबा 1.09 हैक्टर की भूमि वादी के पक्ष में दयालाराम के जीवनकाल में बंटवारा होकर उस पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आया है तथा ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 690, 693 से 697 की भूमि दयालाराम की खरीद सुदा भूमि रही है तथा टोरड़ा के खसरा नम्बर 923, 924, 927 की भूमि पैतृक भूमि रही है जिसमें दयालाराम बिहारीलदार पि. अमराराम कौम कुम्हार 1/2 –1/2 के बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज है। इस संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदियो का अवलोकन किया गया, जमाबंदी नकल सम्वत 2061–2064 में ग्राम टोरडा के खसरा नम्बर 452 रकबा 1.09 हैक्टर में बिहारीलाल दयालाराम पि. अमराराम जाति कुम्हार सा. कुचामनसिटी खातेदार दर्ज है तथा नामा. 109 विरासत के द्वारा दयालाराम पुत्र अमराराम के फौत होने पर उसके स्थान पर राधादेवी पत्नि दयालराम सन्तोषदेवी पुत्री दयालराम हि.1/2 की खातेदारी स्वीकार हुई शेष खाता बदस्तूर रहा, अंकित है। जमाबंदी नकल सम्वत 2058–2061 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 690, 693, 694, 695, 696, 697 कुल रकबा 3.23 हैक्टर में दयालाराम पुत्र अमराराम 1/4 सुजाराम पुत्र धनाराम 1/4 भवाना पुत्र जालू बोदू पुत्र किशना ब.हि.ब.1/2 हि. जाति कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज है, नामा.सं. 1478 दिनॉक 17.4.03 के द्वारा दयालाराम पुत्र अमराराम हि.1/4 कुम्हार के स्थान पर श्रीमति सन्तोषदेवी पत्नि बनारसी बाबू जाति कुमावत सा. देह खातेदार दर्ज है इसके अतिरिक्त अन्य नामान्तरकरण भी दर्ज हुये है। जिनके अनुसार सन्[illegible] रूप में भूखण्डो का बेचान किया गया है। जमाबंदी नकल सम्वत 2049–20[illegible] ग्रा[illegible] रूपपुरा टोरडा के खसरा नम्बर 923, 924, 927 कुल रकबा 9.64 [illegible] बिहारीलाल पि. अमराराम कौम कुम्हार अमरी बेवा मंगलाराम कौम ज[illegible] खातेदार दर्ज है, नामा सं. 47 के अनुसार जरिये विक्रय से दयालाराम पुत्र अमराराम के स[illegible] पर गोरधनराम पुत्र रूपाराम जाति जाट

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

सा. कुचामसिटी के नाम दर्ज किया गया। वादी द्वारा ग्राम टोरड़ा के खसरा नम्बर 452 रकबा 1.09 हैक्टर में एडवर्स पजेनशन एवं पारिवारिक बंटवारा के अनुसार खातेदारी चाही है जबकि ऐसा किसी प्रकार का बंटवारा होना प्रतिवादीगण 1 व 2 ने अस्वीकार किया है तथा किसी प्रकार के लिखित बंटवारे की प्रति इस प्रकरण में वादी द्वार प्रस्तुत नही की गई है, एडवर्स पजेशन के प्रावधान सह खातेदारी एवं पैतृक भूमि पर लागू नही होते। ऐसे किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य एव मौखिक साक्ष्य से वादी का खसरा नम्बर 452 रकबा 1.09 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त होना साबित भी नही होता है। अतः यह तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 2 को साबित करने का भार वादी पर रहा। ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 690, 693 से 697 की भूमि को बंटवारे में वादी को 1/4 हिस्से की भूमि दिया जाना बताया है, जबकि दयालाराम द्वारा बेचान दस्तावेज 31.05.1976 से भूमि क्रय की गई है जो पैतृक भूमि नही है। जिसकी पुष्टि प्रस्तुत बेचान दस्तावेज 31.05.1976 से होती है, दयालाराम ने उक्त भूमि धन्ना पुत्र जीवा से 5 बीघ क्रय की गई है। उक्त तनकी भी वादी के विरूद्व पाई गई। अतः तनकी संख्या 2 भी वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी सं.3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा, जिसमे खसरा नम्बर 690, 693 से 697 की भूमि प्रतिवादी सं. 1 के पति दयालाराम की जरिये रजिस्ट्री खरीद सुदा भूमि है, उपरोक्त भूमि दयालाराम के द्वारा धन्ना पुत्र जीवार से जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज संख्या 177/1976 दिनॉक 31.05.1976 की प्रस्तुत प्रति से होती है, जिसमे वादी का कोई हक हिस्सा नही है चूॅकि उक्त भूमि पैतृक नही होकर निजी आय से क्रय किया जाना प्रतीत होती है। इस प्रकार तनकी संख्या 3 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जांती है।

तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर रहा। ग्राम टोरडा के खसरा नम्बर 452 रकबा 1.09 हैक्टर भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की पैतृक भूमि है जिसमे वे बराबर–बराबर हिस्सा पाने के हकदार है। प्रस्तुत जमाबंदी नकल सम्वत 2061–2064 में ग्राम टोरडा के खसरा नम्बर 452 रकबा 1.09 हैक्टर में बिहारीलाल दयालाराम पि. अमराराम जाति कुम्हार सा. कुचामनसिटी खातेदार दर्ज है तथा नामा. 109 विरासत के द्वारा दयालाराम पुत्र अमराराम के फौत होने पर उसके स्थान पर राधादेवी पत्नि दयालराम सन्तोषदेवी पुत्री दयालराम हि.1/2 की खातेदारी स्वीकार हुई शेष खाता बदस्तूर रहा, अंकित है। जिससे साबित होता है कि उपरोकत भूमि में वे बराबर बराबर के हिस्सेदार है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 452 रकबा 1.09 हैक्टर में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 व 7 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज संख्या 309/07 दिनॉक 05.02.2007 के कर दिया था, जिसकी पुष्टि प्रस्तुत बेचान दस्तावेज से होती है। इस प्रकार एडवर्स पजेशन का होना किसी भी दृष्टि से साबित नही होता है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 5 अनुतोश ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, मौखिक साक्ष्य, बहस, लिखित बहस, प्रस्तुत जमाबंदी नकलो इत्यादि के विवेचन से स्पष्ट है कि [illegible] 452 रकबा 1.09 हैक्टर भूमि इनकी पैतृक भूमि रही है तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. [illegible] 2 के पति/पिता दयालराम दोनो ही बराबर–बराबर के खातेदार दर्ज होकर [illegible] आये है, इनके मध्य बंटवारा होने के साक्ष्य सबूत किसी भी रूप में [illegible] केवल मात्र अभिवचन अनुसार एडवर्स पजेशन का होने के तथ्य साबित नही है। संयुक्त [illegible]तेदार एवं पैतृक भूमि पर एडसर्व पजेशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

के प्रावधान लागू नही होते है। ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 690, 693 से 697 की भूमि दयालाराम द्वारा धन्ना पुत्र जीवा से 5 बीघा भूमि जरिये बेचान दस्तावेज सं. 177/1976 दिनॉक 31.05.1976 से साबित है। दयालराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही उपरोक्त भूमि का क्रय कर काबिज चला आया उसके स्वर्गवास पश्चात जरिये नामा. 1478 से उसकी पुत्री सन्तोषदेवी पत्नि बनारसी बाबू कुमावत कुचामनसिटी 1/4 हिस्सा दर्ज होकर खातेदारी स्वीकृत हुई। ग्राम टोरडा पटवार मण्डल रूपपुरा टोरडा के खसरा नम्बर 923, 924, 927 रकबा 9.64 हैक्टर में दयालराम बिहारीराम पि. अमराराम कौम कुम्हार अमरी बैवा मंगलाराम कौम जाट सा. कुचामन खातेदार दर्ज चले आये, तत्पश्चात दयालाराम ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा धनाराम पुत्र रूपाराम जाट कुचामनसिटी को बेचान करने से नामा. 47 अनुसार खातेदार धनाराम के दर्ज चली आ रही है तथा वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073-76 में बिहारीलाल का 1/4 तथा अन्य खातेदारान का हक हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज चला आ रहा है। खसरा नम्बर 452 की भूमि जरिये बेचान दस्तावेज संख्या 309/07 दिनॉक 05.02.2007 से प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 एवं 7 को कर दिया है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत बेचान दस्तावेज की छाया प्रति से होती है। इस प्रकार वादी का उपरोक्त भूमि खसरान की भूमि मे किसी भी रूप में कब्जा काश्त साबित नही होता है केवल वादी बिहारीलाल के नाम दर्ज खसरा नम्बर 452 में 1/2 तथा खसरा नम्बर 923, 924, 927 मे 1/4 हिस्से की भूमि पर ही कब्जा काश्त साबित होता है शेष भूमि अन्य व्यक्तियो/खातेदारो के नाम दर्ज होने से तथा उनका कब्जा काश्त होने से वादी को एडवर्स पजेशन के प्रावधान लागू नही होते है तथा न ही किसी प्रकार के आपसी बंटवारे के दस्तावेज तथा तनकी सं. 1 व 2 भी उपरोक्तानुसार वादी के विरूद्व निर्णित की जा चुकी है एवं तनकी संख्या 3 व 4 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। अतः वाद वादी साबित नही होने से काबिल खारिज योग्य पाया गया।

आदेश

अतः वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनॉक 19/02/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज, **RAS**)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी, जिला–डीडवाना–कुचामन (राज.)
बइजलास :– मनोज, (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्याः– वाद सं. 160/2008(**RCMS** 2008/00063)

वादी

1. बिहारीलाल पुत्र अमराराम जाति कुमावत निवासी बड़ला की ढ़ाणी कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राधादेवी बेवा दयालाराम जाति कुमावत निवासी बड़ला की ढ़ाणी कुचामनसिटी
2. संतोष देवी पुत्र दयालाराम पत्नि बनारसी बाबू जाति कुमावत निवासी मेड़ी का बास कुचामनसिटी जिला नागौर
3. अर्जुनलाल गोद पुत्र दयालाराम जाति कुमावत निवासी बड़ला की ढ़ाणी कुचामनसिटी
4. उप पंजियक कुचामनसिटी
5. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां/तहसीलदार कुचामनसिटी
6. श्रवणसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी
7. रामसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी

दावा इस्तकरार हक व स्थाई निशेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. का. अधि. 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री बोदूराम चौधरी एवं श्री पुष्पेन्द्रसिंह मेड़तिया अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः **वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 19 माह 02 सन् 2024 को जारी की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान					

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे टिकिट के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.02.28 15:11:56 IST
Reason: SelfAttested